

न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान) केम्प गुडालास

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 127/2021 GCMS No 2021/

दायरा तिथि : 29.10.2021

फैसला तिथि : 29.10.2021

**प्रार्थीगण:-**

ग्रामवासी गुडालास जरिये

सरपंच ग्राम पंचायत गुडालास तहसील-बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

**अप्रार्थी :-**

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

--: आदेश :-

दिनांक 29.10.2021

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ग्रामवासी गुडालास द्वारा कदीमी रास्ते को मौके पर मौजूद स्थिति के अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण संस्थापित कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से ली गई। पटवारी हल्का, गुडालास एवं निरीक्षक भू० अभिलेख मौखमपुरा ने मौके व रेकर्ड से जांच कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 352 किस्म बारानी दायम रकबा 0.9000 हैक्टर मेंसे 496 वर्गमीटर कदीमी रास्ता मौके पर चल रहा हैं। जो पिछले कई वर्षों से आम जन के आने जाने के लिये इस्तेमाल हो रहा हैं, परन्तु राजस्व रेकर्ड में निजी खातेदारी में दर्ज होने से मौके पर मौजूद कदीमी रास्ते को रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के साथ नक्शे में तरमीम किये जाने का निवेदन किया। जिस रिपोर्ट से तहसीलदार, बाली ने भी सहमति व्यक्त करते हुये मौका स्थिति के अनुसार रेकर्ड में गैमु. रास्ता दर्ज किये जाने के साथ नक्शे में तरमीम की अनुशंषा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 352 किस्म बारानी दायम रकबा 0.9000 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में निजी खातेदारी चेलाराम पुत्र भगा जाति सिरवी वगैरा के नाम दर्ज है, परन्तु इस खसरा नंबरान की भूमि मेंसे 496 वर्गमीटर मौके पर कदीमी रास्ता मौजूद है, इसका अंकन राजस्व रेकर्ड में तथा नक्शे में नहीं है, जिससे उक्त रास्ता से गुजरने वाले लोगो को कठिनाई होने से परिवाद दर्ज किये जाते रहे है, जिसको अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये रेकर्ड शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की गई हैं।

इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानो का अवलोकन किया गया।  
**131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded tferin all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or filed and shall correct any errors wich are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer(i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue ( Land Record) Rules, 1957.**

इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू० अभिलेख) नियम 1957 में नक्शा (मानचित्र) के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू० अभिलेख एवं संबंधित राजस्व अधिकारी नक्शे की शुद्धि के लिये जिम्मेदार हैं। इस संबध में राजस्थान भूराजस्व (भू० अभिलेख) नियम 1957 के अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार- उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ-साथ अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता हैं। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई हैं। उपखण्ड अधिकारी की भू० अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी  
बाली

// 02 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : /2021 GCMS No 2021/

अन्यान ग्रामवासी गुडालास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गुडालास बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिवासी) तहसीलदार, बाली अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रवीकार किया जाता है। माफिक रिपोर्ट तहसीलदार, बाली ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 352 किरम बरानी दायम रकबा 0.9000 हेक्टर मेंसे 498 वर्गमीटर कदीमी सरता मौका स्थिति अनुसार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत राजस्व रेकर्ड में बतौर गै.मु. सरता दर्ज करने के साथ राजस्व नक्शे में संशोधन के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी हल्का, गुडालास निरीक्षक भू0अ0 मोखमपुरा व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, गुडालास को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



आज दिनांक 29.10.2021 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(श्री अतुल प्रकाश)  
तहसीलदार  
(एस.डी.ओ.), बाली  
श्री अतुल प्रकाश  
तहसीलदार  
बाली